

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक-लेखा-13/एजी0/नि.प्र./2017/ 2866

दिनांक 6.07.2017

समस्त संयुक्त निदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
जोन राजस्थान।

विषय:-महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन के बकाया आक्षेप एवं प्रथम अनुपालना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन के बकाया आक्षेप कई सालों से ठोस अनुपालना के अभाव में बकाया चल रहे हैं साथ ही नये प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना जो ऑडिट होने के पश्चात एक माह में भिजवानी होती है, वह भी अप्राप्त है।

माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर ने इसे गंभीरता से लिया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अनुपालनाएं यथाशीघ्र तैयार कर भिजवायें। निकट भविष्य में राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें उक्त अनुपालनाओं की वर्तमान स्थिति रखी जावेगी।

कोताही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

*sd*

वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

उत्तरिलिपि :- प्रशासकीय, स्वच्छ 2-4 अपलोड हेतु प्रेषित है।

6/7/17  
लेखाधिकारी  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज. जयपुर